

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
वीटासीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:-196/2019 प्रार्थना पत्र
शंकरा पत्नि एकलिंग जाट, उम्र बालिग निवासी चतरभुजपुरा तहसील मांड न जिला भीलवाड़ा (राजस्था)
-----प्रार्थीया

बनाम

- 1-श्री मांगू पिता भैरू जाट, उम्र बालिग निवासी चतरभुजपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री एकलिंग पिता हीरा जाट, उम्र बालिग निवासी चतरभुजपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
- 3-श्री नारायण पिता कालू गूजर, उम्र बालिग निवासी चतरभुजपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
- 4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-30.10.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गून्दली पटवार हल्का गून्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 830/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.08.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 2 व 4 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1, 2 व 4 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिनांक 30.10.2019 को पारित किया गया। विपक्षी संख्या 3 के विरुद्ध वकील प्रार्थीया द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण दिनांक 30.10.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की गयी।


वकील प्रार्थीया ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम गून्दली पटवार हल्का गून्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित




उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

पुनः आराजी नम्बर 830/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, पांसल को 400/- (चार सौ रुपये) रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना झाबी)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा
निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा

